

अध्याय – प्रथम
प्रस्तावना

अध्याय—प्रथम

प्रस्तावना

बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा प्रारंभिक बाल शिक्षा (ई.सी.ई.) कहलाती है। यह शिक्षा बच्चों को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के पूर्व प्रदान की जाती है इसलिए इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है।

बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनके विकास में राष्ट्र को उन्नत तथा दृढ़ बनाने की दृष्टि से खतंत्र भारत में सभी बच्चों को विकास तथा शिक्षा के समान अवसर देते हुए विकास का प्रयास किया गया। जिसके लिए सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया।

बच्चों के विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रम में सर्व प्रथम 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इसकी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐच्छिक संस्थान आगे आए तथा ग्रामीण क्षेत्र में ‘महिला मण्डल तथा बालवाड़ी’ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके पश्चात् 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। जिसके फलस्वरूप 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के विकास तथा शिक्षा के कार्यक्रमों का निर्धारण हुआ और प्रारंभिक बाल शिक्षा का विकास हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी इसे स्वीकार किया गया। इस नीति में प्रारंभिक बाल शिक्षा को मानव संसाधन विकास हेतु विवेश माना तथा प्राथमिक शिक्षा के पोषक एवं सहायक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभिक बाल देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के रूप में हुई। शिक्षा नीति 1986 ने इस कार्यक्रम को प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए महत्वपूर्ण निवेश माना तथा इसके विकास पर जोर दिया। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास को उद्देश्य बनाया गया। बालक के स्वास्थ्य तथा पोषण, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संपूर्ण पहुँच के रूप में यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात पर भी बल दिया कि इस अवस्था में बच्चों को लेखन, वाचन तथा अंकन (3R) तथा औपचारिक शिक्षण पद्धति से दूर रखना चाहिए। प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम खेल पद्धति तथा बालक की व्यैक्तिक विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए।

प्राथमिक स्तर पर बच्चों के असमायोजन तथा असफलता के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से अभी तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु ई.सी.ई. के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 9 वीं तथा 10 वीं पंचवर्षीय योजनाओं में उसे विशेष स्थान दिया गया। इसे शिक्षा पद्धति के प्रथम स्तर के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

इस प्रक्रम में विद्यालय शिक्षा पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2000 ने औपचारिक शिक्षा से पूर्व 2 वर्ष की पूर्व विद्यालयी शिक्षा पर जोर दिया। जिसमें अक्षर ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। यह शिक्षा सभी बच्चों को समान रूप से मिलनी चाहिए। प्रारंभिक बाल शिक्षा के विकास के क्रम में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा - 2005 ने कहा - बच्चों को उनके विकास हेतु अवसर तथा अनुभव प्रदान करना आवश्यक है। इसी लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का गठन बच्चों की रुचि तथा प्राथमिकताओं पर आधारित होना चाहिए ना कि औपचारिक संरचना के आधार पर इसका गठन व संचालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 ने पुनः इस तथ्य पर, जोर दिया कि बाल शिक्षा में बच्चों में पठन, लेखन अंकन के विकास हेतु दबाव नहीं बनाना चाहिए। बल्कि उन्हें सामाजिक तौर पर क्रियाशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिससे वे प्राथमिक विद्यालय के वातावरण के लिए तैयार हो सकें। और विद्यालय कार्यक्रम से सामंजस्य स्थापित कर सकें।

1.1 प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम पर एक दृष्टि

प्रारंभिक बाल शिक्षा (ई.सी.ई.) है :-

- 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा।
- एक बाल केन्द्रित कार्यक्रम।
- खेल पद्धति तथा क्रिया आधारित उपागम।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित।
- यह बच्चों को उद्दीपित वातावरण प्रदान करती है :-
 - बौखिक विकास के लिए।
 - भाषा विकास के लिए।
 - सामाजिक विकास के लिए।
 - भावनात्मक विकास के लिए।
 - शारीरिक विकास के लिए।
- यह प्राथमिक अवस्था के लिए बच्चों को तत्पर व तैयार करती है।
- यह वाचन, लेखन तथा अंकन के विकास हेतु आधार जाती है।
- यह वातावरण से अंतक्रिया, सामूहिक कार्यों में सक्रिया भागीदारी तथा समस्या समाधान के विकास को प्रोत्साहित करती है।
- यह बच्चों को अधिगम अनुभव प्रदान करने पर जोर देती है।
- इसके लिए पूर्व नियोजन की आवश्यकता होती है।
- यह बच्चों की आवश्यकता के अनुसार लचीली होती है।

प्रारंभिक बाल शिक्षा नहीं है :-

- एक शिक्षक केन्द्रित कार्यक्रम।
- विद्यालय उपलब्धि पर केन्द्रित एक कार्यक्रम।
- एक निश्चित पाठ्यक्रम में बंधा कार्यक्रम जो 3 R's के शिक्षण के लिए बना है।
- प्राथमिक कक्षाओं का निम्न कक्षा विस्तार।
- वाचन, लेखन तथा अंकन का शिक्षण।

1.2 प्रारंभिक बाल शिक्षा की आवश्यकता :-

प्रारंभिक बाल शिक्षा के विकास तथा विस्तार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है :-

- आधारभूत अवस्था :-

यह सर्वमान्य सत्य है कि 3-6 में वर्ष आयु बच्चों के विकास की सबसे अधिक प्रभावी अवस्था है। इन्हीं वर्षों में बच्चों के भावी व्यक्तित्व की बीच पड़ती है। गांधी जी कथन हैं कि –“बच्चा जो कुछ भी जीवन के प्रथम पाँच साल में सीखता है, परवर्ती जीवन में कभी नहीं सीखता।” इस आधार भूत अवस्था में बच्चों में सामाजिक पक्षपात तथा असमायोजन को उचित वातावरण देकर दूर किया जा सकता है।

- उपयुक्त शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता :-

सामान्यतः यह माना जाता है। कि बच्चों के शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का कारण घर में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का अभाव होता है अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा यह कमी पूरी की जा सकती है।

- समान शैक्षिक अवसर का प्रावधान :-

प्रारंभिक बाल शिक्षा की मुख्य आवश्यकता जलारम्द तथा वंचित वर्ग के बच्चों को सभी बच्चों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। जिससे सभी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण हेतु मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

- ग्रामीण तथा शहरी बच्चों के बीच अंतर को भरना:-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा के विस्तृत प्रावधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि वर्तमान में शहरी सम्पन्न क्षेत्रों के बच्चों व ग्रामीण व छोटे करबों के बच्चों के मध्य उत्पन्न शैक्षिक अंतर को भरा जा सके।

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक है :-

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित रूप से बढ़ाने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निश्चित तथा संतुष्टिजनक प्रावधान की आवश्यकता है। यह प्राथमिक शिक्षा की सफलता में सहायक है तथा प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को कम करता है।

- बच्चों के शारीरिक स्वास्थ के लिए :-

बच्चों का शारीरिक विकास तथा कल्याण पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। हमारे देश में अधिकांश बच्चों का उचित पोषण के अभाव में सही शारीरिक विकास नहीं हो पाता। 3-8 वर्ष की आयु में ही कुपोषण तथा शारीरिक विकृति प्रभावशाली रूप से देखने को मिलती है। अतः बच्चों के पोषण व स्वास्थ के लिए यह आवश्यक है।

- यह कामकाजी माताओं की आवश्यकता है :-

वर्तमान में औद्योगिक तथा आर्थिक दृढ़ता की माँग के कारण अधिकांश माताएं कामकाजी तथा नौकरी पेशा हो गई हैं तथा एकल परिवार रचना के कारण बच्चों को घर पर उचित अभिप्रेरित तथा सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता। अतः बच्चों की देखभाल तथा प्रारंभिक शिक्षा हेतु भी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।

1.3 प्रारंभिक बाल शिक्षा का महत्व :-

- शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह माना गया है। कि 6-8 वर्ष तक की आयु मानव विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जो बहुत ही संवेदनशील तथा निर्णायिक होती हैं यह वह अवस्था है जब जीवनभर के विकास आधार, मूल्य और समस्त संभावनाओं के द्वारा खुलते हैं। इसी समय में बौद्धिक शक्ति के विकास की संभावना सर्वाधिक होती है। अतः इस अवस्था में प्रारंभिक बाल शिक्षा द्वारा बच्चों के विकास को सही दिशा तथा गति प्रदान की जा सकती है।
- प्रारंभिक बाल शिक्षा द्वारा बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर तथा अनुभव दिये जा सकते हैं।
- बच्चों की स्वास्थ्य-पोषण की जरूरतें, मनोवैज्ञानिक -सामाजिक और शैक्षणिक विकास अभिन्न रूप से जुड़े हुए पक्ष हैं। प्रारंभिक बाल शिक्षा द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर पर बच्चों के लक्षणों और अनुभव के अर्थ में उनकी अधिगम की आवश्कताओं को छान जैसे रखकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।
- इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों की असमर्थताओं की शीघ्र पहचाना जा सकता है तथा उचित अभिप्रेणा द्वारा बच्चों के कमी को दूर करके उसके अहित को रोकने में मदद मिलती है।
- यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि बच्चों में सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने की स्वाभाविक इच्छा होती है। इसलिए शुरूआती वर्षों में बच्चों की ऊचि तथा प्राथमिकताओं के अनुसार अधिगम सरलता से कराया जा सकता है।
- औपचारिक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले पूर्व विद्यालयी अवस्था में प्रारंभिक बाल शिक्षा का अनुभव बच्चों में विद्यालय के प्रति भय को दूर करने तथा सकारात्मक प्रत्यय निर्माण करने में सहायक होती है।
- प्रारंभिक बाल शिक्षा, घर के अधिक सुरक्षित, सीमित वातावरण और विद्यालय के औपचारिक वातावरण के मध्य सेतु की तरह कार्य करती है। यह बच्चों को विद्यालय के वातावरण के लिए तैयार करती है। तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए सक्रिय बनाती है।
- यह कार्यक्रम उन बच्चों को मजबूत शैक्षिक आधार प्रदान करने में सहायक है। जिनकी क्षमता के विकास में उनके माता-पिता का अशिक्षित होना तथा सुविधाओं की कमी बाधक होती है।

1.4 प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लक्ष्य :-

प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा बालकेन्द्रित कार्यक्रम है। यह खेल पद्धति तथा क्रियाओं पर आधारित है। इसका लक्ष्य सभी बच्चों को प्रेम सौहार्द्य पूर्ण वातावरण में खेल तथा आनंद के साथ सीखने का अवसर-प्रदान करना है।

- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964) के अनुसार पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य है :-


1. बालक में अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, माँसपेशीय समन्वय तथा गत्यात्मक कौशलों का विकास करना।
2. बालक में व्यक्तिगत समायोजन के लिए आवश्यक आधारभूत कौशलों तथा स्वस्थ आदतों का निर्माण करना।
3. समूह सहभागिता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करके बच्चों में वांछित सामाजिक अभिवृत्ति तथा आचरण विकसित करना।
4. आत्म अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं को समझने तथा स्वीकारने आदि के लिए बच्चों को निर्देशित करके बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता का विकास करना।
5. बच्चों में सौदर्यानुभूति को प्रोत्साहित करना।
6. बच्चों की बौद्धिक जिज्ञासा को उत्प्रेरित करना तथा उन्हे अपने वातावरण को समझने में सहायता प्रदान करना। उन्हें निरीक्षण, परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनमें नवीन रुचियों को बढ़ावा देना।
7. आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करके बच्चों में स्वतंत्रता तथा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना।
8. बच्चों में अपने विचार तथा भावों को स्पष्ट तथा शुद्ध भाषा में व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।

- यूनेस्को (UNESCO) की रिपोर्ट “दी वर्ल्ड सर्वे आफ प्री -स्कूल एज्युकेशन” जिसमें सामाजिक, शैक्षिक विकासात्मक लक्ष्यों तथा बच्चों की देखभाल पर जोर दिया गया है। उसके अनुसार प्रारंभिक बाल शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य है :-

- 1.) सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना।
- 2.) व्यैक्तिक स्तर पर बच्चे की क्षमता का विकास करना।
- 3.) समाज के उपयोगी सदस्यों बनने के लिए अवसर प्रदान करना तथा अनुकूलता व सहयोगी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

- विशिष्ट उद्देश्य :-
प्रारंभिक बाल शिक्षा के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं :-

- सामाजिक तथा भावनात्मक विकास :-
- सुरक्षा की भावना का विकास करना।
- बच्चों में स्वस्थ व्यक्तिगत व सामाजिक आदतों का विकास करना।



- सकारात्मक आत्म प्रत्यय का विकास करना ।
- बच्चों में सामूहिक कार्यों में सहभागिता का विकास करना ।

- शारीरिक विकास :-
- मॉसपेशीय समन्वय का विकास करना ।
- शारीरिक वृद्धि के रथरस्प्राव की आदते विकसित करना ।

- भाषा विकास :-
- श्रवण कौशल का विकास करना ।
- स्पष्ट व सही भाषा बोलने को कौशल विकसित करना ।
- शब्दावली का विकास करना ।

- ज्ञानात्मक विकास :-
- समस्या समाधान, वर्गीकरण, व व्यवस्थित विचार धारा के कौशलों का विकास करना ।
- विभिन्न संकल्पनाओं जैसे-आकार, रंग, अंक, पर्यावरण, घर, आदि के विकास में मदद करना ।

- आत्म अभिव्यक्ति व सौन्दर्यानुभूति का विकास :-
- सूजनात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण का विकास करना ।
- बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति की भावना का विकास करना ।

1.5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का वर्तमान परिदृश्य :-

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के विस्तार के कारण समाज में बच्चों की देखभाल-कल्याण तथा शिक्षा के लिए कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए ऑगनवाड़ियों की स्थापना हुई है। उनके अलावा कई वर्षों से ग्रामीण और शहरी इलाकों में बच्चों की देखभाल के लिए बालवाड़ियों, झूलाघर तथा दिन में बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं। जिनकी पहुंच बहुधा मध्यम वर्ग के बच्चों तक है। शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अनेक पूर्व प्राथमिक, नर्सरी और किंडर गार्डन रखूळ हैं। जो आमतौर पर उच्च मध्यम तथा धनी वर्ग के बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे विद्यालयों व केन्द्रों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ई.सी.ई. कार्यक्रम के लिए जो मानदण्ड तैयार किये हैं। उनके अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण न के बराबर होता है।

ऑगनवाड़ियाँ केवल मध्यान भोजन केन्द्र बनकर रह गई हैं इसके साथ ही बालवाड़ियों में प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं तथा सुविधाओं की कमी है। वही शहरी क्षेत्रों में स्थापित पूर्व प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी रखूळ आदि व्यावसायिक केन्द्र बन गए हैं। जहाँ बच्चों को प्रवेश लेने के लिए परीक्षा देना पड़ती है। तथा इसकी फीस एक मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लिए वहन करना परेशानी का कारण हो जाता है। अथवा फीस वहन करना उनके लिए संभव नहीं होता।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कम सुविधा प्राप्त संस्थाओं में बहुत कम स्थान, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री की कमी, सीमित धन और कम शिक्षित व बिना प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक तथा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के कारण बच्चों के विकास तथा शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का संगठन तथा प्रशासन सीधे केन्द्र सरकार के हाथों में ना हो कर ऐच्छिक व निजी क्षेत्र में अधिक है। जिसके कारण प्रारंभिक बाल शिक्षा के प्रारूप व संगठन में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों व सुझावों के अनुसार इन कार्यक्रमों में निर्देशन तथा पर्यवेक्षणक अभाव भी देखने को मिलता है।

विद्यालयों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि विद्यालय क्रियाओं के लिए जो अभ्यास क्रम व सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वो ऐसी होती हैं जिसके लिए बालक तैयार नहीं होता ये क्रियाएँ बालक के विकास के संपूर्ण पक्षों के ध्यान में रखकर तैयार नहीं की जाती। वर्तमान परिदृश्य में सूचनाओं तथा ज्ञान के विस्फोट के कारण पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी बालक पर अधिक जानने का दबाव बनाती है। यह बालक को किताबी शिक्षा में धकेलती है। अधिकांश विद्यालयों में खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षण पूरक प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है। बालक की शिक्षा सम्पूर्ण रूप से खेल पद्धति पर आधारित नहीं होती।

प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार खेल तथा खेल क्रियाएँ ही बच्चों के संपूर्ण विकास का माध्यम है। इसके माध्यम से ही बच्चों के इन्द्रिय विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक सहभागिता, भावात्मक सुरक्षा, स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण प्रदान किया जाना चाहिए। जिससे बालक ज्ञान का सृजन कर सकें। उसके अनुभव उसे शिक्षा व विद्यालय वातावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक होने चाहिए।

1.6 समस्या कथन :-

प्रस्तुत अध्ययन का समस्या कथन निम्नलिखित हैं :-
“प्रारंभिक बाल शिक्षा (ई.सी.ई.) कार्यक्रम के वर्तमान परिदृश्य पर एक अध्ययन।”

1.7 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा :-

1 वर्तमान परिदृश्य :- प्रस्तुत अध्ययन में “वर्तमान परिदृश्य” शब्द से तात्पर्य वर्तमान की वास्तविक परिस्थितियों से हैं। इसमें वर्तमान में संचालित पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियाँ जैसे - भौतिक सुविधाएँ, उपकरण तथा सामग्री, विषय पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि, शिक्षक की योग्यता, बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के लिए होने वाली क्रियाएँ तथा प्रारंभिक बाल शिक्षा के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण शामिल हैं।

2 प्रारंभिक बाल काल :- यह किसी व्यक्ति के जीवन विकास की एक अवस्था है जो 3 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इसे पूर्व विद्यालयी अवस्था अथवा प्री गेंग अवस्था भी कहते हैं।

इस अवस्था में विकास की दर तीव्र होती है। इसी दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा मूल्यों, अवधारणाओं की नीव पड़ती है।

3 प्रारंभिक बाल शिक्षा :- प्रारंभिक बाल शिक्षा 3 से 6 वर्ष समूह के बच्चों की शिक्षा है। जिसमें बच्चों को खेल पद्धति तथा क्रिया प्रधान पद्धति के माध्यम से उनके बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भाषात्मक तथा भावनात्मक विकास के लिए उत्प्रेरक परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन झाँसी शहर में संचालित पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का एन.सी.ई.आर.टी.द्वारा निर्धारित मानकों “पूर्व विद्यालयों के लिए न्यूनतम विशिष्टताएँ” के अनुसार एक आलोचनात्मक अध्ययन है।

1.8 अध्ययन के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. झाँसी शहर के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक संरचना तथा सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. इन पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों तथा सामग्री का अध्ययन करना।
3. इन पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता का अध्ययन करना।
4. पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों में बाल शिक्षा कार्यक्रम के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
5. पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाली शैक्षिक प्रविधि का अध्ययन करना।
6. पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली शैक्षिक क्रियाओं तथा कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
7. पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

1.9 परिकल्पना :-

प्रस्तुत अध्ययन एक सर्वेक्षण है इसमें कोई पूर्व परिकल्पना नहीं है। इसका परिणाम निष्कर्ष के द्वारा दर्शाया गया है।

1.10 अध्ययन का परिसीमन :-

प्रस्तुत अध्ययन की निम्नलिखित परिसीमाएँ है :-

1. यह अध्ययन केवल झाँसी शहर तक सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन के लिए केवल 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों से प्रदत्त एकत्रित किया गया।

1.1.1 अध्ययन की आवश्यकता तथा महत्व :-

वर्तमान में यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था अर्थात् प्रारंभिक बाल्य काल (3-6 वर्ष) मानव विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यह वह समय है जो भविष्य की अवस्थाओं में प्रभावपूर्ण अधिगम के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवस्था में प्रारंभिक बाल शिक्षा के द्वारा बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास किया जा सकता है। प्रारंभिक बाल शिक्षा की सहायता से प्राथमिक शिक्षा अवस्था में होने वाले अपव्यय को रोका जा सकता है। ई.सी.ई. बच्चों को इस योग्य बनाती है। कि वे प्राथमिक स्तर पर समायोजन कर सके तथा शैक्षिक प्रगति कर सके।

इस अध्ययन की आवश्यकता तथा महत्व का एक अन्य पक्ष यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में विकास के बये आयामों तथा आर्थिक प्रगति की होड़ ने परिवार की संरचना को बदला है, जहाँ पहले संयुक्त परिवार होते थे वहाँ आज एकल (नाभकीय) परिवारों की संख्या अधिक है। इन परिवारों में माता-पिता दोनों ही कार्यरत हैं ऐसी स्थिति में बच्चों को प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा तथा देखभाल हेतु पूर्व प्राथमिक विद्यालय अथवा प्रारंभिक बाल शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता है क्योंकि माताओं के कार्यरत होने के कारण वे शिशुओं को देखभाल व शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाती। अतः पूर्व प्राथमिक विद्यालय वह स्थान हो सकते हैं जहाँ बच्चों को शिक्षा तथा देखभाल मिल सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभिभावक संतुष्ट नहीं हो पाते कि उनका बच्चा उचित वातावरण में हैं या नहीं अथवा प्रारंभिक बाल शिक्षा में भी उस पर लिखने, पढ़ने का भार होगा इस लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा रत्तर के अध्ययन की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन झाँसी में प्रारंभिक बाल शिक्षा के वर्तमान स्तर को स्पष्ट करता है जिसके प्रकाश में प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम को उन्नत बनाने हेतु आवश्यकताएँ ज्ञात हो सकेगी।